

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5693/2026

1. Prabhu S/o Khatu Kharadi, Aged About 52 Years, R/o Vali, P.S. Sarvan, District Ratlam, M.P. (Lodged In Jail, Banswara)
2. Kesu S/o Indu Ninama, Aged About 25 Years, R/o Patinagara, P.S. Danpur, District Banswara, Rajasthan (Lodged In Jail, Banswara)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Raghuveer Singh Bhati
For Respondent(s)	: Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

07/05/2026

1. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4) व 305(ए) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पर ट्रैक्टर चोरी करने का आरोप है। ट्रैक्टर की बरामदगी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के खिलाफ इससे पूर्व कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।
5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
7. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. प्रभू पुत्र खातु खराड़ी व 2. केसु पुत्र ईन्दु निनामा**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक-एक लाख रुपये के मुचलके एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J